रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2015/ आषाढ़ 1, 1937
No. 225] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2015/ ASHADHA 1, 1937

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2015

"भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनियमावली, 2015"–

फा सं. एच आर वी सं. 1231/स्टाफ सामान्य (2).—भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989(1989 की 39) की धारा 52 **की** उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 2001 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन किया है, यथा –

1. इस विनियमावली को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) संशोधन विनियमावली, 2015 के रूप में जाना जाएगा।
2. यह विनियमावली 01 जून, 2015 से प्रभावी होगी।
3. क) विनियमावली 3(छ) में शब्द "इससे संलग्न अनुसूची में" को हटा दिया जाएगा।

   ख) विनियमावली 3(ज) (i) में शब्द " उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट" को हटा दिया जाएगा।

   (ii) विनियमावली 3(ज) (ii) में शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी" "और वह" को हटा दिया जाएगा और शब्द अभिप्रेत है के पश्चात् शब्द "जो" जोडा जायेगा |

   ग) विनियमावली 3(ण) में उल्लिखित "अनुसूची" को हटा दिया जाएगा।
4. विनियमावली 49 में "अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट" शब्द को "बोर्ड द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार निर्दिष्ट" शब्दों से बदल दिया जाए।

5. विनियमावली में दी गई अनुसूची हटा दी जाएगी।

[विज्ञापन-III/4/असा./139-ए/15/(113)]

डॉ. क्षत्रपति शिवाजी,आई.ए.एस.,
अध्यक्ष

SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2015

"The Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2015"

F.No. HRV No. 1231/Staff General (2). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Act, 1989 (39 of 1989), the Board of Directors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments to the Small Industries Development Bank of India (Staff) Regulation, 2001, namely:—

1. These Regulations may be called the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2015.
2. These Regulations would come into force with effect from June 01, 2015.
3. (a) In Regulation 3 (g) the words "in the schedule annexed hereto" after the word 'Appellate Authority' shall be omitted;

   (b) (i) In Regulation 3(h) (i) words "specified in the schedule" shall be omitted;
   (ii) In Regulation 3(h) (ii) words "authority specified in the schedule and is the" shall be omitted;

   (c) Regulation 3(o) 'Schedule' shall be omitted.
4. In Regulation 49 words "as specified in the schedule annexed hereto" may be substituted by the words "designated as per delegation of powers approved by the Board"
5. Schedule appended to the Regulations shall be omitted.

[ADVT-III/4/Exty./139-A/15(113)]

Dr. KSHATRAPATI SHIVAJI,
IAS, Chairman

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.